भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीयअप्रत्यक्षकरएवं सीमाशुल्कबोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमाशुल्क आयुक्तकाकार्या लय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्कगृह, विलिंग्डनआईलेंड, कोचीन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

**Website: www.cochincustoms.gov.in** **Control Room: 0484-2666422**
**E-mail: cochincustoms@nic.in** **Fax: 0484-2668468**

**DIN 20231058MB000000B543** **Date: Approved date**

# सार्वजनिक सूचना PUBLIC NOTICE 19/2023

## विषय: आई सी ई एस में एक्स-बॉन्ड शिपिंग बिल का कार्यान्वयन - संबंध में। Sub: Implementation of ex-bond shipping bill in ICES – reg

आयातकों, निर्यातकों, गोदाम लाइसेंसधारियों, सीमा शुल्क ब्रोकरों और व्यापार के सदस्यों का ध्यान आई सी ई एस में एक्स-बॉन्ड शिपिंग बिल के कार्यान्वयन के संबंध में सी बीआईसी की परिपत्र संख्या 22/2023 दिनांक 19.09.2023 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Kind attention of the importers, exporters, warehouse licensees, Custom Brokers, and members of the trade is invited towards the CBIC circular no. 22/2023 dated 19.09.2023 regarding implementation of ex-bond shipping bill in ICES.

**2.** आई सी ई एस में एक्स-बॉन्ड शिपिंग बिल के कार्यान्वयन से पहले, गोदाम में रखे गए माल के निर्यात को समाहित करने के लिए सिस्टम में एक्स-बॉन्ड शिपिंग बिल का कोई प्रारूप नहीं था, जिसके कारण, गोदाम में रखे गए माल का बही-खाता अधूरा था, इसके पीछे कारण यह था कि, कार्गो हटाने के संबंध में सभी लेन-देनों को दर्ज नहीं किया गया हैं।

Prior to the implementation of ex-bond shipping bill in ICES, there was no format for ex-bond shipping bill in the system to cover export of warehoused goods, due to which, the ledger of the warehoused goods was incomplete, as all the transactions with respect to the removal of cargo were not captured.

**3.** इस समस्या को सुधारने के लिए, बंधुआ गोदाम से गोदाम में रखे माल के निर्यात के प्रसंस्करण के लिए आई सी ई एस में एक्स-बॉन्ड शिपिंग बिल का एक प्रारूप पेश किया गया है, और इसके लिए प्रारूप और वर्कफ़्लो नीचे दिया गया है।

To rectify this issue, a format for ex-bond shipping bill has been introduced in ICES for processing of export of warehoused goods from a bonded warehouse, and the format and workflow for the same is as given below.

**4.** एक्स-बॉन्ड शिपिंग बिल दाखिल करते समय निर्यातक को निम्नलिखित विवरण दर्ज करके सिंगल विंडो टेबल में वेयरहाउस कोड घोषित करना होगा, जो दर्शाएगा कि यह एक पुनर्निर्यात का मामला है।

The exporter, while filing an ex-bond shipping bill, needs to declare the warehouse code in the single window table, by entering the following details, which will depict that it is a re-export case.

| Info_Typ | Info_Qfr | Info_Code |
|---|---|---|
| DIR | XSB | Warehouse code to be entered |

**4.a.** सिस्टम में दर्ज किया गया वेयरहाउस कोड उस वेयरहाउस को प्रतिबिंबित करेगा, जहाँ से माल निर्यात किया जाना है। यह वह गोदाम हो भी सकता है और नहीं भी, जहाँ आयात के समय सामान मूल रूप से गोदाम में रखा गया था।

The warehouse code which is entered in the system would reflect the warehouse, from where the goods are to be exported. It may or may not be the warehouse where the goods were originally warehoused at the time of import.

**5.** एक बार उपर्युक्त तालिका में दिए गए विवरण प्रदान किए जाने के बाद, आयातक को अगली स्क्रीन पर प्रविष्टि बिल (BE_Site, BE_no. BE_Date, BE_Inv_SrNo., BE_Item no.) का आइटम वार विवरण दर्ज करना होगा।

Once the details are provided as given in the above table, the importer has to enter the item wise details of the bill of entry (BE_Site, BE_no. BE_Date, BE_Inv_SrNo., BE_Item no.) in the next screen.

**6.** एक शिपिंग बिल में केवल एक गोदाम कोड दर्ज किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि केवल एक गोदाम में पड़ा माल एक ही शिपिंग बिल में निर्यात किया जा सकता है और एक से अधिक गोदामों से बंधुआ कार्गो के निर्यात के लिए अलग शिपिंग बिल दाखिल करना आवश्यक है।

Only one warehouse code can be captured in one shipping bill, which means that goods lying in only one warehouse can be exported in a single shipping bill and separate shipping bills are required to be filed for export of bonded cargo from more than one warehouse.

**7.** एक्स-बॉन्ड शिपिंग बिल दाखिल करने में, प्रत्येक वस्तु के लिए इन-बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का विवरण जैसे कि बिल ऑफ एंट्री नंबर और दिनांक, चालान संख्या, क्रम संख्या आदि अनिवार्य है। प्रत्येक मद के लिए, केवल एक इन-बॉन्ड प्रविष्टि बिल लिया जा सकता है। यदि एक ही वस्तु की एक से अधिक इकाइयां प्रवेश के विभिन्न इन-बॉन्ड बिलों के तहत गोदाम में रखी गई हैं, और निर्यातक इन वस्तुओं को निर्यात करना चाहता है, तो उसे इन वस्तुओं को अलग से घोषित करना होगा और तदनुसार विवरण दर्ज करना होगा। इसलिए, शिपिंग बिल प्रारूप एक एक्स-बॉन्ड शिपिंग बिल के तहत एक से अधिक इन-बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के तहत आयातित वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देगा।

In filing ex-bond shipping bill, the details of into-bond bill of entry such as Bill of entry no. and Date, Invoice no., Sl. no. etc. is mandatory, for each item. For each item, only one into-bond bill of entry can be captured. If more than one unit of the same item is warehoused under different into-bond bills of entry, and the exporter wishes to export these items, then he/she shall declare these items separately and enter the details accordingly. Hence, the shipping bill format will allow export of items imported under more than one into-bond bill of entry under one ex-bond shipping bill.

**8.** एक बार शिपिंग बिल दाखिल हो जाने और सफल सत्यापन के बाद, सिस्टम आयातित मात्रा से निर्यात की गई मात्रा को बही में डेबिट कर देगा। यदि शिपिंग बिल रद्द कर दिया जाता है या शुद्ध कर दिया जाता है, तो मात्रा स्वचालित रूप से आई सी ई एस में पुनः जमा हो जाएगी। शिपिंग बिल में किसी भी संशोधन को बही की मात्रा के साथ भी जोड़ा जाएगा ताकि बही को तदनुसार अद्यतन किया जा सके।

Once the shipping bill is filed and after successful verification, the system would debit the quantity exported in the ledger from the quantity imported. In case, the shipping bill is cancelled or is purged, the quantity would be re-

credited automatically in ICES. Any amendment in the shipping bill will be also linked with the ledger quantity so as to update the ledger accordingly.

**9.** यह ध्यान दिया जाएं कि इस प्रकार के शिपिंग बिल का उपयोग केवल गोदाम में रखे सामान के निर्यात के लिए किया जाएं, किसी अन्य सामान के लिए नहीं। यह किसी बंधुआ गोदाम में भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम **1962** की धारा **65** के तहत विनिर्माण या अन्य संचालन से उत्पन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए भी नहीं है। हालाँकि, यदि ऐसे गोदाम में आयातित माल जहाँ धारा **65** के तहत अनुमति दी गई है, को निर्यात किया जाता है, तो उपरोक्त उल्लिखित एक्स-बॉन्ड शिपिंग बिल दाखिल किया जा सकता है।

It may be noted that this type of shipping bill can be only used for export of warehoused goods, and not for any other goods. It is also not meant for the export of goods resulting from manufacturing or other operations under section 65 of the Indian Customs Act 1962, in a bonded warehouse. However, if the goods imported in a warehouse where permission has been granted under section 65, are exported as such, then the above mentioned ex-bond shipping bill can be filed.

**10.** यह भी देखा जाएं कि ऐसे कार्गो के लिए ड्राबैक, RoDTEP/RoSCTL लाभ, अग्रिम प्राधिकरण/EPCG आदि जैसे कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है और एक्स-बॉन्ड शिपिंग बिल को मुफ्त शिपिंग बिल माना जाएगा।

It may also be seen that no incentives such as Drawback, RoDTEP/RoSCTL benefit, Advance Authorisation/EPCG etc. is available for such cargo and the ex-bond shipping bill would considered as a free shipping bill.

**11.** जिन व्यापारियों को इस संबंध में कोई कठिनाई आती है, वे icegatehelpdesk@icegate.gov.in पर एक ई-मेल भेजें और इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई को अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाएं।

Traders who face any difficulties in this regard may send an e-mail to icegatehelpdesk@icegate.gov.in and any difficulty in the implementation of this public notice may be brought to the notice of the undersigned.

Signed by Rajendra Kumar
Date: 07-10-2023 16:10:49
Reason: Approved

**राजेन्द्र कुमार RAJENDRA KUMAR**

**सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS**

फा. सं. F.no: CUS/BOND/MISC/978/2023-IMP/Bond -O/o COMMR-CUS-COCHIN

दिनांक Date: 29.09.2023

प्रतिलिपि Copy to:

1. The Chief Commissioner, Central Tax, Central GST and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. Commissioner's file
3. Additional/Joint Commissioners of Customs
4. All members of the Trade Facilitation Committee
5. All Custodians/CFSs/ICTT Vallarpadam
6. Deputy/Asst. Commissioner of Customs (Docks)
7. Notice Board/EDI section, Custom House Cochin – for uploading on website
8. Master file